

### प्र० १३

( नियम-२३० (२) देखे)

विषाक्तता या उपजीविका जन्य अधिसूचनीय रोगों की सूचना(नोटिस )।

1. नियोजक का नाम और पता:
2. भवन कर्मकार का नाम और उसकी कार्य संख्या, यदि कोई हो:
3. भवन कर्मकार का पता:
4. लिंग और आयु:
5. उपजीविका:
6. ठीक ठीक बताए कि रोग लगने के समय मरीज क्या कर रहा था:
7. उस विषाक्तता या रोग की प्रकृति जिससे भवन कर्मकार पीड़ित है:

नियोजक / मुख्य चिकित्सा  
अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

टिप्पणी:-जब कोई भवन कर्मकार अनुसूची ६ में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है तब ऐसी सूचना तत्काल मुख्य निरीक्षक को भेजें।